प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-। का कार्यालय, महाराष्ट्र

No. Admn-I/Promotion/DEO Gr.B/2024/130

Date:- 05 -12-2024

OFFICE ORDER

केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2016 के वेतन मैट्रिक्स (29200-92300) के वेतन स्तर 5 में आदेश की तिथि से या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी बाद में हो, डी.ई.ओ.-ग्रेड-बी संवर्ग में निम्नलिखित कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाता है:

The following officials are promoted to the cadre of Data Entry Operator Grade-B in the Level 5 of Pay Matrix (29200-92300) of CCS (Revised Pay) Rules 2016 with effect from the date of order or assumption of charge, whichever is later:

SI. No.	Name of the Data Entry Operator Grade-A
1.	SHRI JATIN SHOKEEN
2.	SHRI ANIL KUMAR

उपरोक्त कर्मचारियों को डी.ई.ओ.-ग्रेड-बी के संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के अंदर वेतन नियतन के लिए विकल्प का चयन करना होगा और उसे प्रशासन-॥ अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा।

The above officials will have to exercise the option for fixation of pay in the cadre of DEO Grade-B within one month of assumption of charge and submit it to Admn-II Section.

कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संबन्धित शाखा अधिकारी के माध्यम से प्रशासन-। अनुभाग को अग्रेषित किया जाए।

The report of assumption of charge may be forwarded to Admn-I Section through the Branch Officer concerned.

केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19/05/2009 के अनुलग्नक के पैरा 25 के अनुसार पदोन्नति के लिए मना करने पर, संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.) के तहत उपरोक्त कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

In the event of refusal of promotion, the officials will not be eligible to be considered for financial up-gradation under the MACPS in terms of para 25 of Annexure to DoPT O.M. dated 19-05-2009.

उपरोक्त पदोन्नति आगे के आदेशों के अधीन है जो केंद्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) दिनांक 15.06.2018 में संदर्भित विशेष अनुमति याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

The above promotion is subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court in respect of the Special Leave Petition as referred to in DoPT O.M. No. 36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15-06-2018.

(Authority: Principal Accountant General's order dated: 05-12-2024)

Sd/-